

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1979/आषाढ़ 18, 1901

No. 137] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1979/ASADHA 18, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना संख्या-46-इटीसी(पीएन)/79

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय .—गोरे, उत्पादों, अर्थात् मँदा, रना, रूजी, परिष्कृत आटा और गेहूँ की भूसी का
निर्यात ।

संख्या-40/26/78-ई-2.—1979-80 की निर्यात नीति पुस्तक की नीति विवरण के
पृष्ठ 15 पर कम संख्या-39 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

नीति विवरण की क्रम संख्या-39 के सामने के कलम-3 में दर्शाई गई विद्यमान शर्तों संख्या (1) और (2) को निम्न प्रकार से पढ़ा जाएगा :—

- (1) यदि निर्यातक स्वयं एक रोलर मिल नहीं है जैसा कि गोहूँ के आटा मिल (लाइसेंस एवं नियंत्रण) आदेश, 1957 में परिभाषित किया गया है तो उसको इस प्रकार का एक रोलर मिल लक्षित करना होगा और गोहूँ को गोहूँ उत्पादों में बदलने के लिए मिल मालिक के साथ किए गए समझौते की एक सत्यापित प्रति लाइसेंस प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।
- (2) निर्यातक द्वारा एक आवेदन पत्र पर और मिल मालिक के साथ किए गए समझौते की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत करने के पश्चात्, जहाँ पर यह आवश्यक हो, निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए रोलर मिल को गोहूँ की आपूर्ति के लिए लाइसेंस प्राधिकारी भारतीय खाद्य निगम (सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय) को एक रिहाई आदेश जारी करेगा।

सी. वेंकटरमन, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE NO. 46-ETC(PN)/79

New Delhi, the 9th July, 1979

EXPORT TRADE CONTROL

Subject :—Export of Wheat Products, viz. maida, rawa, suji, resultan' atta and wheat bran.

File No. 40/26/78-E-II.—Attention is invited to S. No. 39 on page 15 of the Policy statement of Export Policy Book, 1979-80.

The existing conditions No. (i) and (ii) appearing in Col. 3 against S. No. 39 of the Policy Statement shall be read as under :—

- (i) If the exporter himself is not a roller mill as defined in the Wheat Flour Mills (Licensing and Control) Order, 1957 he will have to designate such a roller mill and file with the licensing authority an attested copy of the agreement entered with the miller for converting wheat into wheat products.
- (ii) On an application from the exporter and after filing the attested copy of the agreement entered with the miller, where this is necessary, the licensing authority will issue the release order on the Food Corporation of India (Regional Office concerned) to enable the roller mill to obtain supplies of wheat for the fulfilment of the export order.

C. VENKATARAMAN, Chief Controller of Imports & Exports.